न्यायालय– श्रीमती तनुश्री गवेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

// रिमांड आदेश //

क्र. ...../सी.जे.एम./2025 धमतरी, दिनांक 30.08.2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (1), (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि स्तंभ क्र. 02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके नाम के समक्ष स्तंभ क्र. 03 में उल्लेखित सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित न्यायालय में उपस्थित रहकर दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक उस दिन उनके समक्ष पेश होने वाले आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्यों का निष्पादित करेंगे ।

// माह सितम्बर 2025 //

न्यायालय जिला मुख्यालय धमतरी

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	रिमांड ड्यूटी तिथि
01	02	03
01.	श्रीमती तनुश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	14.09.2025, 20.09.2025, 21.09.2025
02.	सुश्री मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	05.09.2025, 07.09.2025, 13.09.2025, 28.09.2025

बाह्य न्यायालय कुरुद

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	रिमांड ड्यूटी तिथि
01	02	03
01.	श्री रजत कुमार निराला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद	14.09.2025, 20.09.2025, 21.09.2025
02.	श्री निलेश कुमार बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद	05.09.2025, 07.09.2025, 13.09.2025, 28.09.2025

बाह्य न्यायालय नगरी

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	रिमांड ड्यूटी तिथि
01	02	03
01.	सुश्री दीपा सुचिता तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी	माह सितम्बर 2025 में घोषित या पड़ने वाले समस्त अवकाश दिवस।

नोटः–

01. माह सितम्बर में अचानक किसी भी दिन अवकाश घोषित होने की दशा में सुश्री मीनू नंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगी। इसी तरह बाह्य न्यायालय कुरूद जिला धमतरी में माह सितम्बर 2025 में अचानक किसी भी दिन अवकाश घोषित होने की दशा में श्री निलेश कुमार बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे। बाह्य न्यायालय नगरी जिला धमतरी में माह सितम्बर 2025 में रिमांड ड्यूटी का संपादन सुश्री दीपा सुचिता तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी द्वारा किया जाएगा।
02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी की लिखित अनुशंसा पर एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी की अनुमति प्राप्त होने पर ही किसी भी प्रकार के अवकाश पर अपने मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे तथा नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते है तो कार्य विभाजन पत्र के अनुसूची "अ" के अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति उपरांत रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
03. न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवकाश में रहने की स्थिति में जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिमांड ड्यूटी करनी है उन्हें उनके अवकाश पर प्रस्थान करने की सूचना हो गयी है।
04. बाह्य न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश व प्रशिक्षण में होने/ न्यायालय रिक्त होने की दशा में बाह्य न्यायालयों से संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत रिमांड प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही जिला मुख्यालय धमतरी में ड्यूटीरत रिमांड मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित की जावेगी।
05. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी के समय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

सही/–
(श्रीमती तनु श्री गवेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–

01. श्री रजत कुमार निराला– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद को पालनार्थ प्रेषित।

02. सुश्री दीपा सुचिता तिर्की– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी को पालनार्थ - प्रेषित।

03. सुश्री मीनू नंद– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी को पालनार्थ प्रेषित।

04. श्री निलेश कुमार बघेल– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद को पालनार्थ प्रेषित।

05. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी, जिला धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।

06. पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी को जिले के संबंधित थानों में प्रतिलिपि प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित ।

07. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी ।
(माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ रखे जाने हेतु)

08. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी/श्रृंखला न्यायालय कुरूद।
(माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के समक्ष अवलोकनार्थ रखे जाने हेतु)

09. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) धमतरी ।
(माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) धमतरी के समक्ष अवलोकनार्थ रखे जाने हेतु)

10. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी ।

11. प्रमुख एल.ए.डी.सी.एस. जिला धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित ।

(श्रीमती तनु श्री गवेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)